इलाहाबाद बैंक ई. टी. सी. ई.टी.सी.।

बनाम

बंगाल पेपर मिल्स कंपनी लिमिटेड एवं अन्य। अप्रैल 20,1999

[एस. पी. भरुचा और आर. सी. लाहोटी, जे. जे.]

कंपनी अधिनियम. 1956/कंपनी (न्यायालय) नियम. 1959: धारा 447/ नियम 273-कंपनी न्यायाधीश द्वारा परिसमापन का आदेश दिया गया-आधिकारिक परिसमापक द्वारा समाचार पत्र में विज्ञापन देकर कंपनी की परिसंपत्तियों और संपत्तियों की नीलामी करने का आदेश दिया-परिसंपत्तियां और संपत्तियां जिनकी कीमत रु. 1.5 करोड आंकी गयी उसी कीमत पर बेची गई-कीमत का 75% हिस्सा किश्तों में भुगतान किया जाएगा- बिक्री आदेश को डिवीजन बेंच के समक्ष अपील में बिक्री में अनियमितताओं के आधार पर चुनौती दी गई-दलील है कि कंपनी की संपत्तियों की मूल्यांकन रिपोर्ट अपीलकर्ताओं को नहीं बतायी गयी-लीज की जमीन को कंपनी के कब्जे में है पर विचार नहीं किया गया-बिक्री के लिए विज्ञापन पूरे भारत भर में दिए जाने चाहिए थे-कंपनी की संपत्तियां अपीलकर्ता बैंक की प्रतिभूतियां बन गई थीं-कंपनी न्यायाधीश का ध्यान केवल 1700 पूर्व कर्मचारियों की पुनः रोजगार की संभावना पर था-इस बात की कोई जांच नहीं की गई कि पूर्व कर्मचारियों को कैसे दोबारा नौकरी दी

जाएगी-डिवीजन बेंच ने अपील खारिज की- हालाँकि. यह माना गया कि एकल न्यायाधीश ने जल्दबाजी में बिना किसी उचित विचार के आदेश पारित किया-अपील पर, अभिनिर्धारित किया: परिसमापन पर, परिसमापन में कंपनी की परिसंपत्तियां और संपत्तियां इसके लेनदारों के लाभ के लिए आधिकारिक परिसमापक के पास निहित हैं-कंपनी के लेनदारों के हित सर्वोत्तम हैं- सर्वोत्तम संभव कीमत सुनिश्चित करना उच्च न्यायालय का सर्वोपरि दायित्व है-उच्च न्यायालय की डिविजन बैंच द्वारा बिक्री के आदेश संबंध में उसके द्वारा नोट की गई किमयाें की तरफ आंखें मूंद कर गलती की-आधिकारिक परिसमापक द्वारा विक्रय आदेश में सम्मिलत परिसंपत्तियाें एवं संपत्तियाें का अविलम्ब कब्जा प्राप्त करने हेत् आदेशित किया गया-परिसंपत्तियों और संपत्तियों को नए मूल्यांकन और सम्यक विज्ञापन के बाद फिर से बेचा जाएगा-प्रतिवादी संख्या 2 को दो करोड़ रूपये की क्रय राशि का पुनः भुगतान किया जाना है-प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में पटटे को भी अपास्त किया गया-

बैंकिंग प्रैक्टिस-प्रतिभूतियां-बैंकों को बिक्री आय को उनके दावों के श्रेय के लिए अलग रखने की आवश्यकता नहीं है-क्या यह प्रतिभूतियों को छोड देने के समान है-अभिनिर्धारित किया गया-यह प्रश्न पूर्ण रिकाॅर्ड के अभाव में उत्तरित करना संभव नहीं है क्योंकि यह अपील में अनुषांगिक

रूप से उठा है-इसे बैंकाे द्वारा उचित आवेदन करने पर उच्च न्यायालय द्वारा उत्तरित करने के लिए छोडा जाता है।

प्रतिवादी कंपनी के विरूद्ध वसूली के लिए कई बंधक और दृष्टिबंधक मुकदमे याचिकाकर्ता बैंक सिहत विभिन्न बैंकाें द्वारा दायर किए गए थे जिनमें रिसीवर भी नियुक्त किये गये थे। उपरोक्त मुकदमों के अलावा, एक समापन याचिका में, कंपनी को उच्च न्यायालय द्वारा समापन के लिए आदेशित किया गया था और आधिकारिक परिसमापक को कंपनी की परिसंपत्तियों और संपत्तियों पर कब्ज़ा लेने का निर्देश दिया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा मूल्यांकनकर्ता नियुक्त किया गया था और आधिकारिक परिसमापक को गया था। उच्च न्यायालय द्वारा मूल्यांकनकर्ता नियुक्त किया गया था और आधिकारिक परिसमापक को आर-1 की परिसंपत्तियों एवं संपत्तियों को "एक बार 'द स्टेट्समैन' में, एक बार 'जुगंतोर' में और एक बार 'बिस्विमत्र' में विज्ञापन के बाद सार्वजिनक नीलामी द्वारा सीलबंद निविदाएं आमंत्रित करके बिक्री के सामान्य नियमों और शर्तों के अनुसार" बेचने की अनुमित देने का आदेश पारित किया।

बिक्री के लिए विज्ञापन के अनुसरण में, आर-2 का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। आर-2 का इरादा आर-1 को चालू पेपर मिल के रूप में पुनर्जीवित करने की दृष्टि से उसकी संपूर्ण संपत्ति को खरीदने का था। आर-2 ने श्रमिक यूनियनों और राज्य सरकार के साथ पेपर मिल को फिर

से खोलने के लिए चर्चा की थी। प्रस्ताव 1.5 करोड़ रुपये की राशि के लिए था

और 15 लाख रुपये का बैंक ड्राफ्ट जमा किया गया था। शेष 75% के भ्गतान के लिए, आर-2 द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष किस्तों में भुगतान के लिए प्रार्थना करने का इरादा है। फलस्वरूप, आर-2 के पक्ष में एक विक्रय आदेश पारित किया गया जिसमें यह दर्ज किया गया कि स्रक्षित लेनदारों ने आधिकारिक परिसमापक द्वारा सुरक्षित लेनदारों को धन के संवितरण के लिए निर्देश देने की प्रार्थना के अलावा कोई आपत्ति नहीं जताई। स्रक्षित लेनदारों ने उन्हें संदर्भित करने वाले उक्त बयान का विरोध किया और इसे न्यायालय दवारा 'कोई आपत्ति नहीं उठाई' शब्दों को हटाकर संशोधित किया गया। उक्त विक्रय आदेश सहित आदेश में संशोधन को अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष अपील में चुनौती दी, जहां उन्होंने दलील दी कि मूल्यांकन रिपोर्ट बैंकों को नहीं बताई गई आैर आर-1 की संपत्तियाँ बैंक की प्रतिभूतियाँ थीं जिन्हें बिना बैंकों की लिखित सहमति के बेचा नहीं जा सकता था। डिवीजन बेंच ने अपील खारिज कर दी इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बैंकों ने शुरू से ही बिक्री में भाग लिया था प्रारंभ में बैंकों द्वारा किसी भी समय कोई आपित्त नहीं उठाई गई थी, नाहीं बैंकों द्वारा किसी भी समय धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था, नाहीं क्रेता के विरुद्ध धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था, क्रेता दवारा न्यायालय विक्रय में संपत्तियां खरीदी और 1700 लोगों को रोजगार देने का वादा किया। अतः यह अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

अपीलों को स्वीकार करते हुए इस न्यायालय द्वारा

अभिनिर्धारित: 1.1 परिसमापन पर, कंपनी की परिसंपत्तियां और संपत्तियां अपने लेनदारों के लाभ के लिए आधिकारिक परिसमापक में निहित है। केवल इन परिसंपत्तियों और संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय से ही कंपनी के लेनदार अपना बकाया वापस पाने की उम्मीद कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि परिसंपत्तियों एवं संपत्तियों के विक्रय से सर्वोत्तम संभव कीमत प्राप्त हो, परिसमापक के विक्रय की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की जानी आवश्यक है। यह कंपनी के लेनदारों के प्रति उच्च न्यायालय का दायित्व है कि परिसमापन में सर्वोत्तम संभव कीमत प्राप्त हो। यह याद रखना भी अच्छा है कि, अधिकांश भाग के लिए, किसी कंपनी के ऋणदाता छोटे व्यापार ऋणदाता हैं, जिनका बकाया उतना बड़ा नहीं है कि उनके लिए परिसमापन में अदालती कार्यवाही का सहारा लेना किफायती हो। उच्च न्यायालय द्वारा परिसमापक के विक्रय की पुष्टि करते समय यह अपेक्षा की जाती है कि ऐसे ही छोटे ऋणदाता की रक्षा करे, नवलखा एंड संस बनाम श्री रामन्या दास एवं अन्य, [1970] 3 एससीआर 1, पर निर्भर किया गया। (762-ई; 763-एफ)

गोरधन दास चुन्नी लाल बनाम टी. श्रीमान कंथिमथिनाथा पिल्लई, एआईआर (1921) मद्रास 286; रत्नास्वामी पिल्लई बनाम सदापति पिल्लई, एआईआर (1925) मद्रास 318; एस. सुंदरराजन बनाम मैसर्स रोशन एंड

कंपनी, **एआईआर (1940) मद्रास 42** और ए. सुब्बार्या मुदलियार बनाम सुंदरराजन, **एआईआर (1951) मद्रास 986,** को संदर्भित किया गया।

1.2. उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा आर-1 के सामान्य अस्रक्षित लेनदारों के द्वारा विक्रय मूल्य की अपर्याप्तता के आधार पर अपील दायर करने की वास्तविक रूप से उम्मीद नहीं की जा सकती थी। यह उन कई त्र्टियों की तरफ आंखें नहीं मूंद सकता था जो कि इसके दवारा ही विक्रय के आदेश में नोट की गई थी, सिर्फ इसलिए कि बैंकाे दवारा पांच माह के पश्चात अपील दायर की गई थी, ना ही आर-2 दवारा परिसंपत्तियाें एवं संपत्तियों को कब्जे में लेने के बाद किये गये व्यय को विचार में लेने का कोई आैचित्य था। सर्वप्रथम डिवीजन बेंच को यह नोट करना चाहिए था कि एकल न्यायाधीश दवारा आनन-फ़ानन में अगले ही दिन उसका कब्ज़ा आर-2 को सौंपने का आदेश दिया गया। द्वित्तीयतः, अपीलें परिसीमा अवधि के भीतर दायर की गई थीं। इस अवधि में किया गया व्यय अपीलों को निष्फल नहीं कर सकता था। यही बात उस व्यय पर भी लागू होगी जो अपील दायर करने तथा उनकी सुनवाई होने तक किया गया। आर-2 जानता था कि अपीलें लंबित थीं और उनमें विक्रय को अपास्त करने का आदेश हो सकता था। इस ज्ञान के साथ ऐसा व्यय किया गया, जो कि ख़तरे पर किया गया। तृतीयतः, और सबसे महत्वपूर्ण, आर-1

के लेनदारों के हित, विशेष रूप से असुरिक्षित लेनदारों, ऐसे साम्य पर भारी पड गया,

यदि कोई हो, जो कि आर-2 के पक्ष में होना माना जाना चाहिए था। डिवीजन बेंच का यह दायित्व था कि ऐसी गलतियां, जो उसके द्वारा पाई गई, को ध्यान में रखते हुए विक्रय के आदेश को रद्घ किया जाता। [763-जी-एच; 764-ए-सी]

- 1.3. आर-1 के लेनदारों के हित सर्वोपिर हैं, जैसा कि उनके प्रति न्यायालय का दायित्व है। यह कि आर-2 द्वारा व्यय और दायित्व किये गये हैं, जो विस्तृत थे, विक्रय का आदेश परित किये जाने के बाद तथा आज दिन तक; इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय को बिक्री के आदेश को रद्द करने से नहीं रोक सकते। आर-2 को पता था कि अपीलें लंबित हैं। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के व्यक्तव्य के दृष्टिगत उसे इस बात की सराहना करनी चाहिए थी कि बिक्री का आदेश बहुत ही कमजोर था। उसने जानबूझकर व्यय और दायित्वों को वहन करने का जोखिम उठाया और यह उनके पीछे शरण नहीं ले सकता। [764-ई-एफ]
- 1.4. सैद्धांतिक रूप से उन शर्तों में बदलाव करना गलत होगा जिन पर आर-1 के लेनदारों के प्रति पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए आर-2 के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। बेचान की गई परिसंपत्तियाें एवं संपत्तियाें के उचित मूल्य का आकलन करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है। उचित मूल्यांकन समुचित रूप से विक्रय करने के उपरान्त ही मिल सकता था। [764-जी]

- 2. अपील के तहत आर-2 के पक्ष में दिनांक 15 सितंबर, 1989 को पारित विक्रय के आदेश सिहत निर्णय और आदेश को अपास्त किया जाता है। आधिकारिक परिसमापक द्वारा विक्रय के आदेश के तहत परिसंपत्तियां एवं संपत्तियां जिस किसी के भी कब्जे में है, को अविलम्ब कब्जे में लिया जायेगा। एक नई मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इसे फिर से बेच दिया जाएगा, एक आरक्षित बोली निश्चित एवं उचित विज्ञापन प्रकाशन के बाद। आधिकारिक परिसमापक द्वारा कब्जा प्राप्त करने के बाद आर-2 को 2 करोड की क्रय राशि का पुनः भुगतान किया जावेगा। आर-2 के पक्ष में संपत्ति का पृद्या, जो कि विक्रय की विषय वस्तु थी, को भी अपास्त किया जाता है। [766-ई]
- 3. विक्रय के आदेश से पहले बैंकों को उनके पक्ष में सुरक्षित संपत्तियों के संबंध में विक्रय आय को उनके दावों के श्रेय के लिए अलग रखने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, यह एक विवादास्पद प्रश्न है कि क्या बैंकों ने विक्रय के आदेश से पहले अपनी प्रतिभूतियाँ छोड़ दी थीं, लेकिन पूर्ण रिकाॅर्ड के अभाव में इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह प्रश्न विक्रय के आदेश के विरूद्घ अपीलों में अनुषांशिक रूप से उठा है। इस प्रश्न का उत्तर बैंकों द्वारा उचित आवेदन पर उच्च न्यायालय पर छोड़ देना चाहिए। [765-एफ]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 4191/1991 आदि प्रा. पत्र संख्या 169/1990 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांकित 9.7.90 से

जी. एल. सांघी, एस. के. मेहता, ध्रुव मेहता, ए. शरण, एम. शरण, सैंडरसन, मोर्गन्स, ए. के. शील, एस. भौमिक और जी. जोशी अपीलार्थियों की ओर से

बी. सेन, दीपांकर गुप्ता, भास्कर गुप्ता, तपस रे, दिलीप सिन्हा, जे. आर. दास, ध्रुव अग्रवाल, रिम जैन, आर. पी. गुप्ता, रंजन मुखर्जी और ए.डी. सीकरी प्रतिवादीगण की ओर से

न्यायालय का निर्णय दिया गया

भरूचा, जे. कलकता उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले और आदेश से इन अपीलों में क्या शामिल है, इसकी सराहना करने के लिए प्रासंगिक तथ्यों को सामने रखने की आवश्यकता है।

जून, 1985 में पहली प्रतिवादी कंपनी, जो अब परिसमापन में है (उक्त कंपनी) के खिलाफ एक समापन याचिका दायर की गई थी। 30 सितंबर, 1986 को पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा अधीनस्थ न्यायाधीश बर्दवान के समक्ष 1,94,24,886.37 रुपये की राशि की वसूली के लिए उक्त कंपनी के खिलाफ एक बंधक मुकदमा (टाइटल सूट नंबर 143, 1986) दायर किया गया था। उसी दिन यूनाइटेड बैंक ऑफ

इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और अमेरिकन एक्सप्रेस द्वारा उक्त कंपनी के खिलाफ 20,46,010.31 और 17,87,796.49 रुपये की वसूली के लिए एक दृष्टिबंधक मुकदमा (सूट नंबर 736, 1986) कलकता उच्च न्यायालय में दायर किया गया था। उसी दिन, कलकता उच्च न्यायालय में 29,18,360.65 और 11,64,370.00 रुपये की वसूली के लिए उक्त कंपनी के खिलाफ इलाहाबाद बैंक द्वारा एक दृष्टिबंधक मुकदमा (सूट नंबर 737, 1986) दायर किया गया था। फिर उसी दिन, पंजाब नेशनल बैंक और अमेरिकन एक्सप्रेस ने 5,30,38,922.28 रुपये और 2,14,548.00 रुपये की वसूली के लिए उक्त कंपनी के खिलाफ दृष्टिबंधक मुकदमा (सूट नंबर 738, 1986) कलकता उच्च न्यायालय में दायर किया। 3 दिसंबर, 1986 को कलकता उच्च न्यायालय ने 1986 के सूट नंबर 738 में संयुक्त रिसीवर नियुक्त करते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया। समय-समय पर, बंधक वस्तुओं की सूची और बिक्री के लिए उसी मुकदमे में आगे के आदेश पारित किए गए।

24 अप्रैल, 1987 को उपरोक्त समापन याचिका में, उक्त कंपनी को बंद करने का आदेश दिया गया था और आधिकारिक परिसमापक को उक्त कंपनी की परिसंपत्तियों और संपत्तियों पर कब्जा करने का निर्देश दिया गया था। 15 मई, 1987 को पंजाब नेशनल बैंक और अमेरिकन एक्सप्रेस द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 446 के तहत अपने मुकदमे जारी रखने के

लिए अन्मति के लिए एक आवेदन दायर किया गया था; बर्दवान अदालत में दायर बंधक म्कदमे को कलकता उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए भी आवेदन किया गया था। 15 मई, 1987 को आवेदन की अनुमति दी गई और बर्दवान अदालत से कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किए गए मुकदमे को क्रमांकित किया गया (1987 का टीसी सूट नंबर 5)। जून, 1987 में इलाहाबाद बैंक ने कंपनी अधिनियम की धारा 446 के तहत अपने मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए अनुमति के लिए एक आवेदन किया और 26 जून, 1987 को ऐसी अनुमति दी गई। 25 नवंबर, 1987 को, आधिकारिक परिसमापक ने संयुक्त प्राप्तकर्ताओं को उनके द्वारा रखी गई उक्त कंपनी की संपत्तियों और रिकॉर्ड के कब्जे के संबंध में लिखा। 30 नवंबर, 1987 को संयुक्त प्राप्तकर्ताओं ने आधिकारिक परिसमापक को उत्तर दिया; उसमें उन्होंने कहा कि ऑफ़र की कमी के कारण बंधक माल बेचा नहीं जा सका।

11/12 जनवरी, 1988 को पंजाब नेशनल बैंक ने स्थानांतरित मुकदमें कलकता उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर कर प्रार्थना की कि 1986 के मुकदमा संख्या 738 में संयुक्त रिसीवर के स्थान पर आधिकारिक परिसमापक को रिसीवर नियुक्त किया जाना चाहिए। कब्ज़ा लेना, सूची बनाना और हस्तांतरित मुकदमें के साथ-साथ 1986 के मुकदमा संख्या 738 दोनों में प्रतिभृतियों को बेचने के निर्देश के साथ आधिकारिक

परिसमापक को नियुक्त किया जाना चाहिए। आवेदन की अनुमित 12 जनवरी, 1988 को दी गई थी। 28 अप्रैल, 1988 को संयुक्त रिसीवर ने आधिकारिक परिसमापक को यह पुष्टि करते हुए लिखा था कि उन्होंने अपने पास मौजूद प्रतिभूतियों का कब्ज़ा उसे सौंप दिया।

25 नवंबर, 1988 को उच्च न्यायालय ने उक्त कंपनी की परिसंपत्तियों और संपत्तियों का मूल्यांकनकर्ता नियुक्त किया। 29 जून, 1989 को समापन याचिका में एक आदेश पारित किया गया जिसमें आधिकारिक परिसमापक को सार्वजनिक नीलामी द्वारा उक्त कंपनी की परिसंपत्तियों और संपत्तियों को बेचने की अनुमति दी गई, जिसमें एक बार द स्टेट्समैन में, एक बार जुगनटोर में और एक बार 'बिस्वमित्र' में विज्ञापन के बाद सार्वजनिक नीलामी द्वारा सीलबंद निविदाएं आमंत्रित करके बिक्री के सामान्य नियमों और शर्तों के अनुसार" बेचने की अनुमति देने का आदेश पारित किया। बिक्री 15 सितंबर 1989 को दोपहर 2 बजे न्यायालय में होनी थी। आधिकारिक परिसमापक को बिक्री से कम से कम तीन सप्ताह पहले विज्ञापन जारी करने और मूल्यांकनकर्ता को नोटिस देकर बिक्री की तारीख पर उपस्थित होने के लिए कहने का निर्देश दिया गया था। आधिकारिक परिसमापक, सुरक्षित लेनदारों और मूल्यांकनकर्ता को आदेश के कार्यवृत्त की एक हस्ताक्षरित प्रति पर कार्य करना आवश्यक था।

14 अगस्त, 1989 को बिक्री नोटिस जारी किया गया था। इसमें कहा गया है कि बिक्री उक्त कंपनी की बल्लवपुर, रानीगंज, जिला बर्धमान में उसके कारखाने के परिसर में पड़ी पूरी चल और अचल संपित और कलकत्ता में उसके पंजीकृत कार्यालय में पड़ी चल संपित की थी। बिक्री जहां है जैसा है और जो है के आधार पर होनी थी। बिक्री के नियम और शर्तें आधिकारिक परिसमापक के कार्यालय में उपलब्ध बताई गई थीं।

बिक्री के नियमों और शर्तों के खंड (1) में कहा गया है कि बिक्री इन्वेंट्री के अनुसार होगी, जहां है जैसी है और जो भी आधार है और न्यायालय द्वारा पृष्टि के अधीन होगी। खंड (3) में कहा गया है कि इच्छुक खरीदारों द्वारा की गई पेशकश एक सीलबंद लिफाफे में होनी चाहिए जिसमें ऑफर के 10% के बराबर बैंक ड्राफ्ट या भुगतान आदेश शामिल होना चाहिए। खंड (5) में कहा गया है कि सफल क्रेता को न्यायालय द्वारा बिक्री की तारीख से एक सप्ताह के भीतर बैंक ड्राफ्ट या भुगतान आदेश द्वारा आधिकारिक परिसमापक को शेष खरीद मूल्य का भुगतान करना होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह अदालत को ऐसे नियमों और शर्तों पर जिन्हें अदालत उचित समझे, ऐसी जमा राशि के लिए कोई अन्य तारीख तय करने या समय को बढ़ाने से नहीं रोकेगा, भले ही ऐसा समय समाप्त हो गया हो। खंड (9) में कहा गया है कि बिक्री 'बिक्री के नियमों और शर्तों के

ऐसे संशोधनों/परिवर्तनों के अधीन होगी जैसा कि माननीय न्यायालय उचित और उचित समझे और उच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा।'

बिक्री के लिए विज्ञापन के अनुसरण में दूसरे प्रतिवादी ने 14 सितंबर, 1989 को एक प्रस्ताव रखा। यह वह प्रस्ताव है जिसे स्वीकार कर लिया गया था और इसलिए, इसकी शर्तें प्रासंगिक हैं। इसमें कहा गया है कि दूसरा प्रतिवादी उक्त कंपनी को चालू पेपर मिल के रूप में पुनर्जीवित करने की दृष्टि से उसकी संपूर्ण चल और अचल संपत्ति की खरीद में रुचि रखता था। दुसरे प्रतिवादी ने मौजूदा श्रमिक संघों और राज्य सरकार के साथ चर्चा की थी और पेपर मिल को फिर से चलाने के लिए मौजूदा कर्मचारियों से कामगार लेने के लिए श्रमिक संघों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। यह ऑफर 1,50,00,000/- रुपये की राशि के लिए था और कुल 15 लाख रुपये की राशि के बैंक ड्राफ्ट संलग्न थे। प्रस्ताव में कहा गया है, 'अगर हमारी बोली सफल होती है तो हम एक पखवाड़े के भीतर बिक्री मूल्य के 25% का भुगतान पूरा कर लेंगे और कब्जा ले लेंगे। शेष राशि के लिए हम माननीय उच्च न्यायालय, कलकता से प्रार्थना करेंगे कि हमें शेष राशि का भुगतान करने के लिए किश्तों की स्विधा दी जाए, जिसके लिए हम पूरी राशि को कवर करने के लिए बैंक गारंटी की व्यवस्था करेंगे। इसलिए, हम माननीय उच्च न्यायालय से उक्त कंपनी की संपत्तियों को सामान्य तरीके से स्थानांतरित करने का स्पष्ट आदेश देने का अनुरोध करेंगे......।'

15 सितंबर, 1989 को निर्णय और बिक्री का आदेश पारित किया गया, जिसे डिवीजन बेंच के समक्ष चुनौती दी गई थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने दर्ज किया कि आधिकारिक परिसमापक को विज्ञापनों के अनुसार, तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें से एक दूसरे प्रतिवादी द्वारा 1,50,00,000/- रुपये के लिए था, दूसरा केवल फर्नीचर की बिक्री के संबंध में था और तीसरा संपत्ति की बिक्री के लिए रु. 1,10,00,000/- का था। संपत्तियों की बिक्री खुली अदालत में हुई थी, हालांकि नीलामी में कोई और बोली लगाने वाला नहीं था। 1,50,00,000/- रुपये की पेशकश को बाद में दूसरे प्रतिवादी ने बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया था। दूसरे प्रतिवादी की ओर से उपस्थित पश्चिम बंगाल राज्य के महाधिवक्ता ने प्रस्तुत किया था कि संबंधित इकाई को स्क्रैप के रूप में निपटाया नहीं जाएगा बल्कि एक चालू संस्था के रूप में उपयोग किया जाएगा। CITU से संबद्ध यूनियन के साथ मिल के कामकाज के संबंध में विस्तृत नियम और शर्तों वाला एक समझौता पहले ही हो चुका था। महाधिवक्ता ने INTUC से संबद्ध बंगाल पेपर मिल मजदूर कांग्रेस का एक पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें शर्तों की स्पष्ट स्वीकृति दर्ज की गई थी। महाधिवक्ता ने अदालत को आश्वासन दिया था कि दो सप्ताह के भीतर 1700 लोगों को फिर से रोजगार दिया जाएगा और जिन लोगों को आवश्यक म्आवजा नहीं दिया जा सकेगा, उन्हें भुगतान किया जाएगा, जो 50 लाख रुपये से अधिक हो सकता है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने दर्ज किया कि 'सुरक्षित लेनदारों की ओर से उपस्थित

विद्वान अधिवक्ता ने कोई आपित नहीं उठाई है, सिवाय इसके कि सुरक्षित लेनदारों को कुछ धन के वितरण के लिए आधिकारिक परिसमापक को निर्देश देने की प्रार्थना की गई क्योंकि इस बीच पहले ही लंबी अविध बीत चुकी थी।' विद्वान एकल न्यायाधीश ने तब निम्नलिखित आदेश पारित किया:

'उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और पिछले 7-8 वर्षों से बंद पड़ी मिल के 1700 लोगों के पुनः रोजगार के तथ्य पर विचार करते हुए, मेसर्स ईस्टर्न मिनरल्स एंड ट्रेडिंग एजेंसी (पेपर डिवीजन)के पक्ष में की गई बिक्री को 2 करोड़ रुपये में पक्का किया जाना चाहिए। तदनुसार यह आदेश दिया जाता है। फलस्वरूप दिशा-निर्देश अनुसरण करते हैं।

यह दर्ज किया गया है कि आज अदालत में आधिकारिक परिसमापक को कुल 20 लाख रुपये की राशि सौंपी गई है और इसलिए, आधिकारिक परिसमापक को कल तक क्रेता को मिल परिसर का कब्ज़ा सौंपने का निर्देश दिया जाता है।

क्रेता को 26 सितंबर 1989 तक 30 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, जिसे आधिकारिक परिसमापक के पास जमा रखा जाएगा। हालाँकि, यदि क्रेता उपरोक्त निर्धारित समय के भीतर ऐसी बैंक गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो आधिकारिक परिसमापक को निर्देश दिया जाता है कि वह इसे अगले आदेश के लिए 27 सितंबर, 1989 को इस न्यायालय के ध्यान में लाए।

क्रेता को तारीख से चार सप्ताह के भीतर खरीद मूल्य के मुकाबले आधिकारिक परिसमापक को 30 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। खरीद मूल्य का शेष 75%, यानी 1.50 करोड़ रुपये क्रेता द्वारा 15 लाख रुपये की तिमाही किश्तों द्वारा भुगतान किया जाएगा। हालाँकि, पहली तिमाही, 1 जनवरी, 1990 से शुरू हो रही है। 30 लाख रुपये की राशि या उपरोक्त त्रैमासिक किस्तों में से किसी एक के भुगतान में चूक होने पर, आधिकारिक परिसमापक को आवश्यक निर्देशों के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने का भी निर्देश दिया जाता है।'

सुरक्षित लेनदारों ने निर्णय और आदेश में दिए गए बयान का विरोध किया, जिसमें उन्हें संदर्भित किया गया था और विद्वान एकल न्यायाधीश ने 27 सितंबर, 1989 को निर्देश दिया कि 15 सितंबर 1989 के आदेश को इस हद तक संशोधित किया गया है कि 6 वें पैराग्राफ की 9 वीं पंक्ति उक्त आदेश में 'सभी सुरक्षित लेनदारों' शब्दों के बाद 'प्रार्थना की गई' के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। जैसा कि संशोधित किया गया है, वाक्य का प्रासंगिक भाग पढ़ा जाता है: 'सभी सुरक्षित लेनदारों के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान वकील ने सुरक्षित लेनदारों को कुछ धन के संवितरण के लिए आधिकारिक परिसमापक को निर्देश देने की प्रार्थना की है.......'

15 सितंबर, 1989 और 27 सितंबर, 1989 के आदेशों के खिलाफ बैंकों द्वारा अपील दायर की गई थी। जिस आदेश को चुनौती दी गई है, उसके द्वारा अपीलों का निपटारा कर दिया गया।

डिवीजन बेंच ने कहा कि मूल्यांकन रिपोर्ट का खुलासा किसी भी बैंक को नहीं किया गया था, लेकिन उसने कहा कि उसके सामने पेश की गई मुल्यांकन रिपोर्ट से ऐसा प्रतीत होता है कि मुल्यांकनकर्ता द्वारा उक्त कंपनी की संपत्ति का कुल मूल्य 6,22,16,875/- रुपये होने का अनुमान लगाया गया था। चूंकि मूल्यांकन रिपोर्ट बैंकों को नहीं बताई गई थी, इसलिए बैंकों के पास किए गए मूल्यांकन पर आपति करने का कोई अवसर नहीं था। बैंकों की ओर से पेश वकील के मुताबिक संपत्ति का उचित मूल्यांकन काफी अधिक होना चाहिए था; बैंकों द्वारा दिए गए ऋण पूरी तरह से सुरक्षित थे और यदि संपत्ति उचित मूल्य पर बेची गई होती तो उन्हें पूरी तरह से वसूल किया जा सकता था। चूंकि मूल्यांकन रिपोर्ट बैंकों को नहीं दिखाई गई थी, इसलिए बैंकों के पास मूल्यांकन रिपोर्ट में खामियों को इंगित करने का कोई अवसर नहीं था। उक्त कंपनी के पास 15.2.73 एकड लीज-होल्ड जमीन थी। मूल्यांकनकर्ता ने इस पर इस आधार पर विचार नहीं किया कि पट्टा केवल 14 अक्टूबर, 1992 तक था। मूल्यांकनकर्ता ने यह नहीं बताया था कि क्या उसने पट्टा-विलेख की जांच की थी या क्या इसमें कोई नवीकरण खंड था। बैंकों की ओर से वकील ने कहा था कि बेची गई संपति

का उचित बाजार मूल्य प्राप्त करने के लिए कोई उचित प्रयास नहीं किया गया था। सर्वोत्तम संभव मूल्य प्राप्त करने के लिए विज्ञापन पूरे भारत में, विशेष रूप से बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास और अन्य महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्रों में दिए जाने चाहिए थे। ऐसा नहीं किया गया था। मूल्यांकन रिपोर्ट का खुलासा न होने के कारण, स्रक्षित ऋणदाता कोई आपित नहीं उठा सके और यह जानने की स्थिति में नहीं थे कि संपत्ति कम कीमत पर बेची गई थी या नहीं। संपत्तियाँ बैंकों की प्रतिभूतियाँ थीं। बैंकों ने कई मुकदमे दायर किए थे और रिसीवर नियुक्त किए गए थे। बैंकों की लिखित सहमति के बिना संपत्तियां नहीं बेची जा सकती थीं और बैंक अपनी प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए सहमत नहीं थे। डिवीजन बेंच ने खुद को बैंक की ओर से दिए गए बाद के तर्क को बरकरार रखने में असमर्थ पाया क्योंकि बैंकों ने श्रु आत से ही बिक्री में भाग लिया था। परिसंपत्तियों की प्रस्तावित बिक्री पर बैंकों द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी। यह बिक्री बैंकों की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैंकों के कहने पर एकल न्यायाधीश के आदेश में बदलाव किया गया। किसी भी समय बैंकों ने संपत्तियों की बिक्री या जिस कीमत पर संपत्तियां बेची गईं, उस पर आपत्ति नहीं जताई। बैंकों के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि वास्तव में जो बेचा गया वह स्रक्षित संपत्तियों में मोचन की इक्विटी थी। डिवीजन बेंच ने पाया कि बैंकों ने यह रुख बिक्री से पहले या उस समय नहीं अपनाया था। वकील ने तर्क दिया था कि बंधक केवल लिखित रूप में दिया जा सकता

है, अन्यथा नहीं और उन्होंने बताया था कि बैंकों द्वारा दायर बंधक मुकदमे अभी भी लंबित हैं। डिवीजन बेंच बिक्री को रद्द करने के इस तर्क को बरकरार रखने में असमर्थ थी 'क्योंकि इस तरह के मामले में बैंकों से किसी प्रकार की तत्परता अपेक्षित थी।' क्रेता के विरुद्ध धोखाधड़ी का कोई आरोप नहीं लगाया गया था। क्रेता ने अदालती बिक्री में संपत्तियां खरीदी थीं और उक्त कंपनी के 1700 श्रमिकों को रोजगार देने का वादा किया था। क्रेता ने कारखाने को चलाने के लिए व्यय किया था और उस उद्देश्य के लिए विभिन्न पक्षों के साथ अनुबंध किया था। मामले का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह था कि 3 फरवरी 1990 तक बिक्री के आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की गई थी और इसके संचालन पर कोई रोक नहीं लगाई गई थी। बैंकों के वकील ने तर्क दिया था कि अपील परिसीमा अवधि के भीतर दायर की गई थी। डिवीजन बेंच ने प्रतिवाद किया कि ऐसा हो सकता है, लेकिन खरीदार को बिक्री के बाद कब्जा लेने की अनुमति दी गई थी। उन्होंने व्यक्तियों को नियुक्त किया था और बैंकों की आपत्ति के बिना ऑर्डर दिए थे। ये चीजें घटित होने के बाद ही बैंक जागे। देरी को बैंकों के मामले में घातक पाया गया। लेकिन, डिवीजन बेंच ने आगे कहा: 'हालाँकि, श्री मित्रा के इस तर्क में काफी दम है कि बिक्री अनुचित जल्दबाजी में की गई थी। एक बड़ी पेपर मिल की बिक्री का प्रस्ताव पूरे भारत में व्यापक प्रचार के बाद ही लागू किया जाना चाहिए था। इसके

अलावा, सफल बोलीदाताओं के प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले गहराई से जांच की जानी चाहिए। मिलों के बंद होने के समय परिसमापन में कंपनी द्वारा वास्तव में नियोजित श्रमिकों की संख्या का पता लगाने के लिए कुछ जांच की जानी चाहिए थी। यह पता लगाने का कोई प्रयास नहीं किया गया कि उनमें से कितने कर्मचारी अभी भी बेरोजगार थे और क्या ट्रेड यूनियन जिसके साथ क्रेता ने समझौता किया था, परिसमापन में कंपनी के सभी बेरोजगार श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता था। ऐसा प्रतीत होता है कि कंपनी के 1700 श्रमिकों को दोबारा नियोजित नहीं किया गया है। यह पता लगाने का कोई प्रयास नहीं किया गया कि क्या कंपनी पर अपने कर्मचारियों के संबंध में वैधानिक या अन्यथा कोई देनदारी बकाया है। कंपनी पर अन्य देनदारियां हो सकती हैं। ऐसी देनदारियों की प्रकृति और सीमा का पता नहीं लगाया गया। परिसंपत्तियों की बिक्री इस तरह से नहीं की जानी चाहिए थी कि बैंकों सहित सभी लेनदारों को कंपनी की परिसंपत्तियों के खिलाफ अपना बकाया वसूलने के अधिकार से वंचित किया जा सके।'

डिवीजन बेंच ने तब कहा:

"हालाँकि, बिक्री को रद्द करने के लिए इस न्यायालय में एकमात्र पक्ष जो आए हैं, वे बैंक हैं जिन्होंने

बिक्री के हर चरण में पूरी तरह से भाग लिया था। जिस समय कंपनी की संपत्ति बेचने का निर्णय लिया गया उस समय बैंकों का प्रतिनिधित्व किया गया था। जब बिक्री को अंतिम रूप दिया गया तो बैंक भी मौजूद थे। बैंकों ने बिक्री आदेश में कुछ सुधार करने के लिए मामले का भी उल्लेख किया था और बिक्री आय के निपटान के लिए प्रार्थना की गई थी। ऐसा नहीं लगता कि बैंक किसी गलतफहमी में थे कि सुरक्षित संपत्तियां बेची जा रही हैं।

बैंकों ने प्रत्येक कार्यवाही में भाग लिया था जो पिरसंपितयों की बिक्री में पिरणत हुई और पिरसंपितयों की बिक्री से शीघ्र भुगतान के लिए प्रार्थना की। वे पांच महीने बीत जाने के बाद पलटकर इस आधार पर बिक्री को रद्द करने की प्रार्थना नहीं कर सकते कि बिक्री के समय बैंक के हितों की उचित रूप से रक्षा नहीं की गई थी.......

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और बैंक के आचरण को ध्यान में रखते हुए, इस आवेदन को खारिज किया जाना चाहिए।"

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बिक्री के लिए कोई आरक्षित मूल्य तय नहीं किया गया था। ऐसा क्यों होना चाहिए था, यह समझ में नहीं आता है, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि परिसंपत्तियों और संपत्तियों का एक मूल्यांकनकर्ता नियुक्त किया गया था और एक रिपोर्ट प्राप्त की गई थी। मूल्यांकन रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया गया। विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में यह निर्धारित नहीं किया गया है कि बेची गई संपत्ति का मूल्यांकन क्या था। इसमें यह भी नहीं बताया गया है कि, उस मूल्यांकन के मद्देनजर, दूसरे प्रतिवादी द्वारा की गई 2 करोड़ रुपये की पेशकश उचित और पर्याप्त कीमत थी। इसके अलावा, विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि डिवीजन बेंच ने क्या किया, अर्थात्, कंपनी के पास 15.2.73 एकड़ पट्टे की भूमि थी। मूल्यांकनकर्ता द्वारा इस पर इस आधार पर विचार नहीं किया गया कि पट्टे की अवधि केवल 14 अक्टूबर, 1992 तक थी। मूल्यांकनकर्ता ने यह संकेत नहीं दिया है कि क्या उसने पट्टा विलेख की जांच की थी या पट्टा

समझौते में कोई नवीकरण खंड था या नहीं। इसलिए, मूल्यांकन स्वयं संदिग्ध था।

बिक्री का विज्ञापन केवल तीन समाचार पत्रों में एक बार दिया गया था, जिनमें से कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्र थे। जिस परिमाण की बिक्री को लेकर हम चिंतित हैं, उसके लिए यह निश्चित रूप से अपर्याप्त प्रचार था। अपर्याप्त प्रचार अनिवार्य रूप से यह संभावना सुझाता है कि बेहतर कीमत प्राप्त की जा सकती थी।

ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश इस संभावना से प्रभावित हो गए थे कि 1700 लोगों को फिर से नियोजित किया जाएगा। उन्होंने इस बात की सराहना नहीं की कि उक्त कंपनी के पूर्व कर्मचारी केवल इसके कुछ लेनदार थे और वे इसके अन्य असुरक्षित लेनदारों की तुलना में बेहतर स्थिति में नहीं थे। ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता था जो उनका पक्ष लेते हुए अन्य असुरक्षित लेनदारों का कोई हिसाब न रखता हो। जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश से पता चलता है, उक्त कंपनी के कर्मचारी 7 से 8 वर्षों के लिए रोजगार से बाहर थे, लेकिन विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह जांच नहीं की कि उनमें से कितने ने बीच के वर्षों में अन्य रोजगार हासिल किया था।

विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह पता नहीं लगाया और यह निर्धारित नहीं किया कि उक्त कंपनी के खिलाफ सुरक्षित और असुरक्षित दावों की

कुल राशि क्या थी और क्या बेची गई संपितयों के अलावा उक्त कंपनी की पिरसंपित और संपित इन दावों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त थी, आंशिक रूप से भी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी पता नहीं लगाया और बताया कि कितने असुरक्षित लेनदार थे, उनके दावों की कुल राशि क्या थी और उसका कितना हिस्सा उक्त कंपनी के पूर्व कर्मचारियों को दिया जा सकता था। ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस बात की सराहना नहीं की कि बिक्री के संचालन और पृष्टि करने में उनका मुख्य दायित्व उक्त कंपनी के लेनदारों के निकाय के प्रति था और दायित्व यह सुनिश्चित करना था कि जहां से वे कर सकते थे वहां से सर्वोत्तम संभव कीमत प्राप्त की गई थी ताकि उनके बकाये का कम से कम कुछ हिस्सा वसूल करें।

ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि दूसरे प्रतिवादी की पेशकश बिक्री के नियमों और शतों के अनुरूप नहीं थी, क्योंकि उसने एक भुगतान अनुसूची पर विचार किया था जो बिक्री के नियमों और शतों से भिन्न थी। विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में इस बारे में कोई चर्चा नहीं है कि इस तरह के प्रस्ताव पर विचार करना क्यों उचित समझा गया।

विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष उक्त कंपनी की परिसंपतियों और संपत्तियों को 1.10 करोड़ रुपये की राशि में खरीदने का एक और प्रस्ताव

था। बिक्री के क्रम में प्रस्ताव का कोई विवरण नहीं दिया गया है। यदि यह बिक्री के नियमों और शर्तों के अनुरूप था, तो इस पर विचार किया जाना चाहिए था और दूसरे उत्तरदाताओं की पेशकश से तुलना की जानी चाहिए थी। जाहिरा तौर पर, इस प्रस्तावकर्ता ने अपना प्रस्ताव नहीं उठाया, लेकिन उसने ऐसा किया होगा यदि उसे बताया गया हो कि उसके पास वही उदार भुगतान शर्तें हो सकती हैं जो विद्वान एकल न्यायाधीश ने दूसरे प्रतिवादी को अपना प्रस्ताव उठाने के बाद दी थीं। बिक्री के आदेश में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया कि उन्होंने दूसरे प्रतिवादी को इतनी उदार शर्तें देना क्यों आवश्यक या उचित समझा। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये शर्तें ऑफर में मांगी गई शर्तों से भी अधिक उदार हैं।

हालाँकि कीमत का केवल 10% ही प्राप्त हुआ था और उसके 10 दिन बाद 30 लाख रुपये की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का निर्देश था, और शेष खरीद मूल्य बहुत लंबी अवधि के बाद ही प्राप्त किया जाना था, विद्वान एकल न्यायाधीश ने ने आधिकारिक परिसमापक को दूसरे प्रतिवादी को संपत्ति और संपत्तियों का कब्ज़ा 'कल तक' सौंपने का निर्देश दिया।

अपील के तहत आदेश में डिवीजन बेंच की यह टिप्पणी कि बिक्री अनुचित जल्दबाजी के साथ की गई थी, बहुत उचित है। इसी प्रकार डिवीजन बेंच द्वारा की गई अन्य महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ भी हैं, जिन्हें हमने ऊपर उद्धृत किया है। इसिलए, डिवीजन बेंच के लिए यह स्पष्ट नहीं हो सकता था कि इस बात की पूरी संभावना थी कि बिक्री से सर्वोत्तम संभव मूल्य प्राप्त नहीं हुआ था। फिर भी, डिवीजन बेंच ने बिक्री के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि, उसके विचार में, दूसरे प्रतिवादी को बैंकों द्वारा संपत्तियों और संपत्तियों पर कब्जा करने और व्यय करने की अनुमित दी गई थी। हमारे विचार में, डिवीजन बेंच गलती में थी।

परिसमापन पर, परिसमापन में कंपनी की परिसंपत्तियां और संपत्तियां अपने लेनदारों के लाभ के लिए आधिकारिक परिसमापक में निहित हो जाती हैं। इन परिसंपत्तियों और संपत्तियों की बिक्री आय से ही कंपनी के लेनदार अपना बकाया वस्लने की उम्मीद कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन परिसंपत्तियों और संपत्तियों की बिक्री पर सर्वोत्तम संभव कीमत प्राप्त हो, परिसमापक द्वारा बिक्री की पृष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की जानी आवश्यक है। परिसमापन में कंपनी के लेनदारों के लिए यह उच्च न्यायालय का दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि सर्वोत्तम संभव कीमत प्राप्त हो गई है।

नवलखा एंड संस बनाम श्री रामन्या दास एंड अन्य, 1970(3) एससीआर 1 में इस न्यायालय ने कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के नियम 273 को इस प्रकार उद्धृत किया:

"बिक्री की प्रक्रिया - प्रत्येक बिक्री आधिकारिक परिसमापक द्वारा आयोजित की जाएगी, या, यदि न्यायाधीश ऐसा निर्देश देगा, तो न्यायालय द्वारा अनुमोदित एक एजेंट या नीलामीकर्ता द्वारा, और ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जैसा कि न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। सभी बिक्री सार्वजनिक नीलामी द्वारा या सीलबंद निविदाएं आमंत्रित करके या न्यायाधीश द्वारा निर्देशित तरीके से की जाएंगी।"

फिर यह कहा गया:

'बिक्री की पुष्टि को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित हैं। जहां आयुक्तों द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति न्यायालय की पुष्टि के अधीन है, प्रस्तावकर्ता को केवल स्वीकृति से संपत्ति में कोई निहित अधिकार नहीं मिलता है तािक वह अपने प्रस्ताव की स्वचािलत पुष्टि की मांग कर सके। न्यायालय द्वारा पुष्टि की शर्त अपर्याप्त कीमत पर बेची जा रही संपत्ति के खिलाफ सुरक्षा के रूप में काम करती है, चाहे यह बिक्री के संचालन में किसी अनियमितता या धोखाधड़ी का परिणाम हो या नहीं। प्रत्येक मामले में यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह स्वयं को संतुष्ट करे

कि संपत्ति के बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित कीमत उचित है। जब तक न्यायालय कीमत की पर्याप्तता के बारे में संतुष्ट नहीं हो जाता, बिक्री की पुष्टि का कार्य न्यायिक विवेक का उचित प्रयोग नहीं होगा। गोवर्धन दास चुन्नी लाल बनाम टी. श्रीमान कंथिमथिनाथ पिल्लई, एआईआर 1921 मद्रास 286, में यह देखा गया कि जहां संपत्ति को निजी अन्बंध द्वारा या अन्यथा बेचने के लिए अधिकृत किया गया है, तो यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह खुद को संतुष्ट करे कि तय की गई कीमत सबसे अच्छी है जिसे पेश किए जाने की उम्मीद की जा सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि न्यायालय कंपनी और उसके लेनदारों के हितों का संरक्षक है और कंपनी अधिनियम के तहत आवश्यक न्यायालय की मंजूरी का उपयोग कंपनी और उसके लेनदारों के हितों को ध्यान में रखते हुए न्यायिक विवेक के साथ किया जाना चाहिए। रत्नास्वामी पिल्लई बनाम सदापति पिल्लई, एआईआर 1925 मद्रास 318, और एस. सुंदरराजन बनाम मेसर्स रोशन एंड कंपनी, एआईआर 1940 मद्रास 42 में इस सिद्धांत का पालन किया गया था। ए. सुब्बाराय मुदलियार बनाम के. सुंदरराजन, एआईआर 1951 मद्रास 986, में यह इंगित किया गया था कि न्यायालय द्वारा पृष्टि की शर्त अपर्याप्त मूल्य पर बेची जा रही संपत्ति के खिलाफ एक सुरक्षा उपाय है, यह न केवल उचित होगा बल्कि आवश्यक भी होगा कि न्यायालय अपने विवेक का प्रयोग करे जो निस्संदेह उसे स्वीकार करने या अस्वीकार करने का है। इसके आदेशों के अनुसरण में आयोजित नीलामी में

उच्चतम बोली लगाने वाले को यह देखना चाहिए कि नीलामी में प्राप्त कीमत पर्याप्त कीमत है, भले ही इसमें अनियमितता या धोखाधड़ी का कोई सुझाव न हो।'

यह याद रखना भी अच्छा है कि, अधिकांश भाग के लिए, पिरसमापन में एक कंपनी के ऋणदाता छोटे व्यापार ऋणदाता होते हैं जिनका बकाया इतना बड़ा नहीं होता है कि अदालत में कार्यवाही का सहारा लेना उनके लिए किफायती हो। पिरसमापक द्वारा बिक्री की पुष्टि करते समय उच्च न्यायालय से इन छोटे लेनदारों की रक्षा करने की अपेक्षा की जाती है।

हमें लगता है कि डिवीजन बेंच ने ऊपर कही गई बातों पर ध्यान नहीं दिया। यह वास्तविक रूप से उम्मीद नहीं कर सकता था कि उक्त कंपनी के सामान्य असुरक्षित लेनदार बिक्री मूल्य की अपर्याप्तता के आधार पर अपील दायर करेंगे। यह उन कई खामियों की ओर से आंखें नहीं मूंद सकता था, जो उसने खुद ही बिक्री के आदेश में नोट की थीं, सिर्फ इसलिए कि बैंकों ने पांच महीने बाद अपील दायर की थी; न ही उस व्यय पर विचार करने का कोई औचित्य था जो दूसरे प्रतिवादी द्वारा संपित और संपितयों पर कब्जे के बाद किया गया था। सर्वप्रथम, डिवीजन बेंच को यह ध्यान देना चाहिए था कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने अनुचित जल्दबाजी के साथ अगले ही दिन दूसरे प्रतिवादी को कब्जा सौंपने का आदेश दिया था। द्वितीयतः, अपीलें सीमा अविध के भीतर दायर की गई थीं। इस अविध के दौरान किया गया व्यय वास्तव में अपीलों को निरर्थक नहीं बना सकता। यही बात अपील दायर करने के बाद और उनकी सुनवाई होने तक किए गए व्यय पर भी लागू होगी। दूसरे प्रतिवादी को पता था कि अपीलें लंबित थीं और वे बिक्री के आदेश को रद्द किए जाने के साथ समाप्त हो सकती थीं। इस ज्ञान के साथ किया गया ऐसा व्यय उसके जोखिम पर था। तृतीयतः, और सबसे महत्वपूर्ण, कंपनी के लेनदारों, विशेष रूप से असुरक्षित लेनदारों के हित, ऐसी इक्विटी, यदि कोई हो, से अधिक थे, जिन्हें दूसरे प्रतिवादी के पक्ष में माना जा सकता था। हमारे विचार में, यह डिवीजन बेंच का दायित्व था कि उसने बिक्री के आदेश को रद्द कर दिया, यह ध्यान में रखते हुए कि इसमें क्या गलत पाया गया।

दूसरे प्रतिवादी, पिश्वम बंगाल राज्य और कर्मचारियों की ओर से यह तर्क दिया गया कि, बिक्री के आदेश के बारे में हम जो भी सोचें, हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हमने जो कारण बताए हैं, उन पर हम सहमत नहीं हो सकते। उक्त कंपनी के लेनदारों के हित सर्वोपिर हैं, जैसा कि उनके प्रति न्यायालय का दायित्व है। यह कि दूसरे प्रतिवादी ने व्यय और दायित्व वहन किए हैं, जो बिक्री के आदेश के पारित होने के बाद विस्तृत थे और आज तक, इन परिस्थितियों में, हमें बिक्री के आदेश को रद्द करने से नहीं रोक सकते। दूसरे प्रतिवादी को पता था कि अपीलें लंबित थीं।

उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इसके बारे में जो कहा, उसे देखते हुए, यह समझना चाहिए था कि बिक्री का आदेश बहुत कमजोर था। इसने जानबूझकर व्यय और दायित्वों को वहन करने का जोखिम उठाया और यह उनके पीछे शरण नहीं ले सकता।

दूसरे प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि हमें उक्त कंपनी के लेनदारों के प्रति पूर्वग्रह को दूर करने के लिए उन शर्तों को बदलना चाहिए जिन पर दूसरे प्रतिवादी की पेशकश स्वीकार की गई थी। हमारे पास ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिसके आधार पर हम ऐसा कर सकें, सिवाय इस तथ्य के कि ऐसा करना सैद्धांतिक रूप से गलत होगा। हम नहीं जानते और हमारे पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि बेची गई संपत्तियों और संपत्तियों का उचित मूल्य क्या था; यह उचित रूप से विज्ञापित बिक्री के बाद ही पाया जा सकता था। हम नहीं जानते, और वकील हमें यह बताने में असमर्थ थे कि उक्त कंपनी के विरुद्ध कुल दावे क्या हैं।

बैंकों के विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष दलील दी थी कि बैंकों द्वारा बंधक केवल लिखित रूप में ही छोड़ा जा सकता है, अन्यथा नहीं और उन्होंने बताया था कि बैंकों द्वारा बंधक मुकदमे अभी भी लंबित थे। उन्होंने यह भी तर्क दिया था कि दूसरे प्रतिवादी को जो बेचा गया, वह किसी भी स्थिति में, गिरवी रखी गई संपति में मोचन की इक्विटी ही थी। ये विवाद हमारे सामने दोहराए गए। दूसरी ओर, दूसरे प्रतिवादी की ओर से यह तर्क दिया गया कि बैंकों ने अपनी प्रतिभूतियाँ छोड़ दी हैं और असुरक्षित ऋणदाता बन गए हैं।

ज्ञात हो कि 11-12 जनवरी, 1988 को पंजाब नेशनल बैंक ने हस्तांतरित मुकदमे में उच्च न्यायालय में एक आवेदन दिया था और प्रार्थना की थी कि मुकदमें में संयुक्त रिसीवर के स्थान पर आधिकारिक परिसमापक को रिसीवर नियुक्त किया जाना चाहिए। 1986 का क्रमांक 738, हस्तांतरित वाद के साथ-साथ 1986 के वाद क्रमांक 738 दोनों में प्रतिभूतियों पर कब्ज़ा लेने, सूची बनाने और बेचने के निर्देशों के साथ आवेदन को 12 जनवरी, 1988 को अनुमित दी गई थी। यह सबमिशन से स्पष्ट नहीं है क्या, परिणामस्वरूप, आधिकारिक परिसमापक को हस्तांतरित मुकदमे में गिरवी संपत्तियों का रिसीवर नियुक्त किया गया था। यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या अन्य बैंकों ने भी अपने मुकदमों में इसी तरह का कोई आवेदन किया था। यह नोट करना उचित है कि 29 जून, 1989 के बाद के आदेश में समापन याचिका में पारित किया गया था, जिसमें आधिकारिक परिसमापक को उक्त कंपनी की संपत्ति और संपत्तियों को बेचने की अनुमति दी गई थी, सुरक्षित लेनदारों को संदर्भ दिया गया था। बिक्री के क्रम में सुरक्षित लेनदारों को भी इसी तरह का संदर्भ दिया गया था। इस तथ्य पर आधारित विवाद में कुछ तथ्य भी हैं कि जब बिक्री का

आदेश दिया गया था तब बंधक मुकदमे लंबित थे और बंधक प्रतिभूतियों को आम तौर पर इस आशय के स्पष्ट लेखन के बिना छोड़ दिया गया नहीं माना जा सकता था। दूसरी ओर, यह इंगित करने की आवश्यकता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि बैंकों ने बिक्री के आदेश से पहले किसी भी समय यह आवश्यकता नहीं की थी कि बिक्री आय, जहां तक वे उनके पक्ष में सुरक्षित संपत्तियों से संबंधित हैं, को उनके वाद के श्रेय से अलग रखा जाना चाहिए। इसलिए, यह एक विवादास्पद प्रश्न है कि क्या बैंकों ने बिक्री के आदेश से पहले अपनी प्रतिभूतियाँ छोड़ दी थीं, लेकिन पूर्ण रिकॉर्ड के अभाव में हम इस प्रश्न का समाधान नहीं कर सकते क्योंकि यह एक ऐसा प्रश्न था जो आकस्मिक रूप से अपील में उठा था। बिक्री का आदेश. हमारा मानना है कि यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर अब बैंकों के उचित आवेदनों पर उच्च न्यायालय द्वारा दिया जाना बाकी है।

साथ ही, यह हमारे लिए बिल्कुल स्पष्ट है कि बेची गई सुरिक्षित संपत्तियों में केवल मोचन की इक्विटी नहीं थी, यदि ऐसा था, तो बिक्री के नियमों और शर्तों में इस आशय का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए था।

इस न्यायालय के समक्ष दूसरे प्रतिवादी की ओर से दायर एक अतिरिक्त हलफनामें में कहा गया है कि उक्त कंपनी ने संपित के पट्टे को नवीनीकृत करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी जो बिक्री का विषय था और कानूनी रूप से बने रहने के लिए पेपर मिल चलाने के लिए, दूसरे प्रतिवादी और उसके सहयोगियों द्वारा स्थापित बंगाल पेपर मिल्स (1989) कंपनी लिमिटेड ने पश्चिम बंगाल राज्य से अपने पक्ष में पट्टा प्राप्त किया था। दूसरे प्रतिवादी के पक्ष में बिक्री का आदेश रद्द किए जाने योग्य है, इसके परिणामस्वरूप होने वाली सभी चीजें भी आवश्यक रूप से रद्द की जानी चाहिए। पट्टा, स्पष्ट रूप से, बिक्री के आदेश के परिणामस्वरूप प्राप्त किया गया था। अतः पूर्ण न्याय के लिए पट्टे को निरस्त किया जाना आवश्यक है।

दूसरे प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि दूसरा प्रतिवादी बिक्री मूल्य और बिक्री के आदेश के परिणामस्वरूप किए गए सभी व्यय की वस्ली का हकदार होगा। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि आधिकारिक परिसमापक को दूसरे प्रतिवादी को 2 करोड़ रूपये की राशि वापस करनी होगी। किसी भी अन्य व्यय के संबंध में, दूसरे प्रतिवादी को उच्च न्यायालय में आवेदन करना होगा और उसे संतुष्ट करना होगा, सबसे पहले, कि यह खर्च किया गया था और, दूसरे, कानून में, दूसरा प्रतिवादी इसे पुनर्प्राप्त करने का हकदार है।

अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपील के तहत निर्णय और आदेश और दूसरे प्रतिवादी के पक्ष में 15 सितंबर, 1989 के बिक्री आदेश को भी रद्द किया जाता है। आधिकारिक परिसमापक बिक्री के उक्त आदेश के अंतर्गत आने वाली संपत्तियों और संपत्तियों पर, जिसके भी कब्जे में है, तुरंत कब्जा

वसूल करेगा। नई मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त होने, आरक्षित बोली तय होने और उचित विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद इसे दोबारा बेचा जाएगा। दूसरे प्रतिवादी को अधिकारिक परिसमापक द्वारा कब्जे की वसूली के बाद 2 करोड़ रुपये की खरीद कीमत चुकाई जाएगी जैसा कि पूर्वोक्त है।

बंगाल पेपर मिल्स (1989) कंपनी लिमिटेड के पक्ष में संपत्ति का पट्टा, जो बिक्री का विषय था, रद्द कर दिया गया है।

दूसरा प्रतिवादी आधिकारिक परिसमापक को उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष अपील की लागत और इन अपीलों की लागत, 25000/- रुपये की राशि का भुगतान करेगा।

आर॰सी॰के॰ अपील स्वीकार की गई।

(यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री हेमन्त जान् (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।)